FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला झुन्झुनू

बनाम

1. **श्री रामुतार सैनी पुत्र बजरंग लाल, मैसर्स बालाजी मिष्ठान एण्ड चाट भण्डार, विष्णु सर्किल के पास मलसीसर, निवासी वार्ड नं. 09 रैगरो का मोहल्ला मलसीसर, जिला झुन्झुनू।**

प्रार्थना पत्र एफ. एस. ए. एक्ट 2006 मुकदमा नम्बर 1 **/2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23—12—2021	यह प्रार्थना पत्र एफ. एस. ए. एक्ट 2006 एवं सपठित नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.01.2022 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू	
18/1/22	पत्रावली पेश हुई खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप.। एडवोकेट ना.। स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया। पत्रावली में बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 14-2-22 को पेश हो अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
14.2.2022	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अनावेदक स्वयं उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय के दीगर कार्य में व्यस्त होने के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 17.2.2022 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:11 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक एवं अनावेदक उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(II)(V) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का मेरे द्वारा ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक संख्या 1 का कथन है कि वह बाहर गांव से दूध खरीदकर पेड़ा (मावा मिठाई) बनाता है। अनावेदक ने किसी प्रकार की कोई मिलावट नही की है। अतः अनावेदक संख्या 1 को धारा 26 (2)(II)(V) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./979/एक्ट/2021/114/ दिनांक 02.09.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ पेड़ा (मावा मिठाई) सब स्टैण्डर्ड (Substandrad Food) का होना पाया गया है, जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) (V) के उल्लंघन में आता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक को धारा 26 की उपधारा (2) (V) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक श्री रामुतार सैनी पुत्र बजरंग ला सैनी, मै0 बालाजी मिष्ठान एण्ड चाट भण्डार, विष्णु सर्किल के पास मलसीसर, झुंझुनू को 2,000/- दो हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Jagdish Prasad Gour Date: 2022.03.16 12:54:11 IST Reason: SelfAttested अति.जिला कलक्टर, झुंझुनू	